न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 45/2021(2021/00079)
अनवान : –

मदनलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र रणपतराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. महावीर प्रसाद पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 08/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 102/93 के मुरब्बा न0 118 के किला न0 1, 2, 5, 9, 10, 23 ता 25, मुरब्बा न0 132 के किला न0 2 ता 8, 13 ता 18, मुरब्बा न0 133 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20, मुरब्बा न0 134 के किला न0 1, 10 इस प्रकार कुल किता 42 की कुल 10.6260 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रणपतराम की खातेदारी हुआ करती थी। रणपतराम के [illegible] भूमि को प्रतिवादी मांगेराम ने कर्ता खानदान होने के चलते [illegible] तो प्रतिवादी मांगेराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की [illegible] पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से ह[illegible] अधिकार निहित है [illegible]भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तन्हा प्रतिवादी मांगेराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम को वादी के दादा रणपतराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी चक डोभी बारानी सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 49 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मदनलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक डोभी बारानी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 102/93 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक डोभी बारानी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 103/94 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी डोभी बारानी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 49 प्रदर्श 3, सदस्तयता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डोभी प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 12 बीएचडी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 50/47 प्रदर्श 5, जमाबन्दी 11 बीएचडी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 50/40 प्रदर्श 6, जमाबन्दी चक 11 बीएचडी सम्वत 2037 खाता संख्या 11/10 प्रदर्श 7, जमाबन्दी चक 12 बीएचडी सम्वत 2050 खाता संख्या 32 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से रोही मौजा डोभी बारानी के खाता संख्या 103/94 में कुल 2.5300 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है, जो जमाबन्दी प्रदर्श 2 से साबित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखने हेतु वकील वादी ने निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:02 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस को सुना किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक डोभी बारानी सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 102/93 के मुरब्बा न0 118

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के किला न0 1, 2, 5, 9, 10, 23 ता 25, मुरब्बा न0 132 के किला न0 2 ता 8, 13 ता 18, मुरब्बा न0 133 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20, मुरब्बा न0 134 के किला न0 1, 10 इस प्रकार कुल किता 42 की कुल 10.6260 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीमुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी सम्वत 2075-78 के वर्तमान खाता संख्या 102/93 के मुरब्बा न0 118 के किला न0 1, 2, 5, 9, 10, 23 ता 25, मुरब्बा न0 132 के किला न0 2 ता 8, 13 ता 18, मुरब्बा न0 133 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20, मुरब्बा न0 134 के किला न0 1, 10 इस प्रकार कुल किता 42 की कुल 10.6260 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि में से **प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी मदनलाल व प्रतिवादी संख्या 2 महावीर प्रसाद को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को बोलकर लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़